न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वा

330

1 संदीप आ0 बाबूलाल पाठक PBR/अपील/हरदा/भू०रा/2017/3245

2 कैलाशा बाई वेवा बाबूलाल पाठक

दोनो जाति ब्राहमण, निवासी रहटगांव तहसील रहटगांव

जिला हरदा ---------- याचिकाकर्ता

बनाम

शिवशंकर आ0 लक्ष्मीनारायण पाठक जाति ब्राहमण

निवासी रहटगांव, तह. रहटगांव जिला हरदा ---- उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता 1959

==

उपरोक्त याचिका याचिकाकर्ता न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय रहटगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.17 अवैधानिकता एवं अनियमितता के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है :-

// अपील के तथ्य //

1. यह कि, ग्राम उमरधा की कृषि भूमि खसरा नं.86/2, रकबा 1.821 हे. राजस्व अभिलेखों मे याचिककर्ता क्र.1 के नाम पर दर्ज है तथा खसरा नंबर 86/1 रकबा 2.052 हे0 राजस्व अभिलेखो मे आवेदक क्र.2 के नाम दर्ज है इस भूमि का मूल्य खसरा नं. पूर्व मे खसरा नंबर 86 रहा है।

2. यह कि, कृषि भूमि स्थित ग्राम उमरधा की खसरा नं.83/

दिनांक 12/9/17 को ... प्रति. 12/9/17

दिनांक ... प्रति. 12/9/17

13.09.17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–पीबीआर/अपील/हरदा/भू.रा./2017/3245

संदीप व अन्य विरूद्ध शिवशंकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रहठगांव, जिला–हरदा के प्रकरण क्रमांक 2/अ–13/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24–08–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–हरदा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 11.3.19	